बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं० : 2231562, 2215089, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

पटना/दिनांक 24/09/2019

अधिसूचना

संख्या-नि० प्रा०/ नि० 1-06/2017 1516 प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0), चिरैया के पत्रांक 1174 दिनांक 18.09.2019 द्वारा चिरैया व्यापार मंडल सहयोग समिति के निर्वाचन कार्यक्रम को कोरम के अभाव में स्थगित किया गया एवं पुन: पत्रांक 1220 दिनांक 23.09.2019 द्वारा दिनांक 25.09.2019 को निर्वाचन कराने का निर्णय संसूचित किया गया, जिससे अभ्यर्थियों को प्रचार-प्रसार का पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं हो सका है।

अत: बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 1296 दिनांक 21.08.2019 द्वारा चिरैया व्यापार मंडल सहयोग समिति के प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन हेतु निर्धारित मतदान एवं मतगणना की तिथि 25.09.2019 को विस्तारित करते हुए उक्त समिति के निर्वाचन हेतु मतदान एवं मतगणना की तिथि दिनांक 04.10.2019 (शुक्रवार) को निर्धारित की जाती है।

24/9/19
(गिरीश शंकर)
मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1516 पटना/ दिनांक 24/09/2019

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

24/9/19
मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1516 पटना/ दिनांक 24/09/2019

प्रतिलिपि: प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/ जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/ उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/ पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/ जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/ प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), चिरैया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी से अनुरोध है कि वे इस चुनाव कार्यक्रम की प्रतियां अपने स्तर से भी ससमय संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

3. प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), चिरैया को सूचित किया जाता है कि व्यापार मंडल निर्वाचन के संचालन हेतु प्राधिकार के पत्रांक 688 दिनांक 04.08.2017 द्वारा दिये गये अनुदेश यथा संशोधन के साथ (Mutatis Mutandis) लागू होंगे। यह अनुदेश प्राधिकार

के बेवसाईट www.bsea.bih.nic.in पर उपलब्ध है। निर्वाचन पदाधिकारी को यह भी निदेश दिया जाता है कि चुनाव कार्यक्रम की सूचना अपने स्तर से सभी सदस्यों को उपलब्ध करा दें और चुनाव कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार भी करायें।

24/9/19

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1516 पटना/ दिनांक 24/09/2019

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से कृपया निदेश निर्गत करना चाहेंगे।

24/9/19

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1516 पटना/ दिनांक 24/09/2019

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1516 पटना/ दिनांक 24/09/2019

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी